BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 09 अक्टूबर 2024

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दहेज हत्या के आरोपी को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयीः-

अवगत कराना है कि अभियुक्त राहुल पुत्र डोरीलाल निवासी ग्राम दीवाला खेडा थाना छतारी जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2022 में अपनी पत्नी उमा भारती को दहेज के लिए प्रताड़ित कर फांसी लगाकर हत्या करने जैसी दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 13.04.2022 को थाना छतारी पर मुअसं – 103/2022 धारा 498ए/304बी,323,506 भादवि व 3/4 डीपी एक्ट पजीकृत किया गया तथा दिनांक 08.07.2022 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 08 गवाह परिक्षित हुए जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 09.10.2024 को न्यायाधीश श्री हरिकेश कुमार (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी–01 बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त राहुल को 07 वर्ष का कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री केशव देव शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सेल बुलन्दशहर